केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00044
CICOM/R/P/21/00027

अपीलकर्ता : श्री अनुज कुमार जैन
पुत्र - स्व0 श्री नीरज कुमार जैन
म.न. 956, नवरत्न प्रेस के सामने
ब्रह्मपुरी, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश ।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.11.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	26.02.2021
निर्णय की तारीख	22.03.2021

आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा

1. अपीलकर्ता द्वारा राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेषित दिनांक 28.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेषित दिनांक 30.09.2020 के पत्र से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी जिसे राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा 10 दिसम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता का दिनांक 30.09.2020 का प्रतिवेदन सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अग्रसारित किया गया है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु 30 दिसम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 30.09.2020 के शिकायत पत्र को लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा CPGRAM पंजीकरण संख्या DOPAT/P/2020/00777 के तहत ऑनलाइन CPGRAM प्रणाली द्वारा 25.11.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग को स्थानांतरित किया गया है ।

मांगी गई सूचना

2. अपीलकर्ता द्वारा उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:-

'निवेदन पत्र दिनांकित 30.09.2020 के संदर्भ में आपके स्तर से क्या कार्यवाही अब तक की गई है कृपया निवेदक को सूचना एवं संबंधित अभिलेख प्रदान करने की कृपा करें' ।

प्रदान की गई सूचना

3. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री राम कुमार द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00027 दिनांक 14.01.2021 के माध्यम से प्रेषित सूचना में अपीलकर्ता को बताया गया है कि CPGRAM पंजीकरण संख्या DOPAT/P/2020/00777 निस्तारण कर दिया गया है तथा साथ में निर्णय की प्रति भी लगाई गई है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 MAR 2021
D. No.........
Initials.........

---2/-

प्रथम अपील का आधार

4. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में उल्लेख किया है कि 'केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र के संदर्भ में कोई भी सुसंगत सूचना दिए बिना ही आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया गया है"।

निर्णय

5. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेषित अपीलकर्ता का दिनांक 28.11.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के केवल बिंदु सं.1 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है, जिसके प्रतिउत्तर में श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार एवं निर्धारित समयवाधि के भीतर ही दिनांक 14.01.2021 को प्रेषित कर दी गई है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना स्पष्ट एवं तत्यात्मक है इसलिए इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित अन्य मदें जो आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 में शामिल नहीं है, पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

6. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 22 मार्च, 2021.

प्र.अ.अ. 22/3/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

22/03/21